**न्यायालय, प्रधान जिला न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।**

**विविध वाद संख्या–35 / 2025**

OSCORP INDUSTRIES PVT. LTD. ------------------------Petitioner

Versus

UNION OF INDIA AND OTHERS -------------Opposite Parties

21.03.2025 आवेदक की ओर से हाजरी है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का परिशीलन किया।

आवेदक द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा–9 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में विपक्षी सं0–2 को RS-U-L Repair-BOXNHL-DDU दिनांक–06.07.2022 द्वारा निर्गत समाप्ति नोटिस पर कार्रवाई करने, लागू करने और प्रभाव देने से रोकने तथा आवेदक के भागीदारी के बिना अनुबंध के अंतर्गत कार्य करने तथा याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई राशि जप्त करने और बैंक गारंटी के नगदीकरण से रोकने एवं अन्य अनुतोषों की प्रार्थना की गई है। आवेदक द्वारा वाद की सुनवाई तक अंतरिम राहत की भी प्रार्थना की गई है।

आवेदक द्वारा अपने आवेदन में कहा गया है कि आवेदक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक निगमित कंपनी है जिसका प्रतिनिधित्व इसके एक निदेशक श्री संतू करार द्वारा किया जाता है। आवेदक पूरे भारत में विभिन्न प्रकार के रेलवे कार्यों हेतु अनुज्ञाप्ति लेकर कार्य करता है। आवेदन में यह भी कहा गया है कि निविदा संख्या– RS-U-L Repair-BOXNHL-DDU दिनांक–27.04.2021 के आलोक में विपक्षी सं0–02 ने 8400 अनलोडेबल BOXNHL तथा अन्य एस0एस0 वैगनों के हैवी बॉडी रिपेयर हेतु विपक्षी सं0–02 द्वारा दिनांक–22.12.2021 को आवेदक के पक्ष में स्वीकृति पत्र निर्गत किया गया। इस कार्य के लिए भारत

**न्यायालय, प्रधान जिला न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।**

**विविध वाद संख्या–35 / 2025**

लगातार

**21.03.2025** सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा निर्गत और समय समय पर संशोधित Standard General Conditions of contract, 2020 लागू था। उक्त आवेदन में आगे कहा गया है कि उक्त स्वीकृति पत्र के आलोक में आवेदक द्वारा रूपये 1,52,86,037/– की बैंक गारंटी जमा की गई, जिसे विपक्षी सं0–02 ने विधिवत स्वीकार किया। आवेदन में यह भी कहा गया है कि उक्त अनुबंध के तहत काम शुरू करने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार की सामग्री, यथा, स्टेनलेस स्टील शीट/प्लेट और कोल्ड रोल्ड फॉर्म सेक्शंस (सीआरएफ सेक्शन) की आवश्यकता होती है। उक्त दोनों सामग्री RDSO द्वारा अनुमोदित विक्रेताओं की सूची में उल्लिखित विक्रेताओं से क्रय करना था। आवेदक को बाहर से सामान क्रय करने की अनुमति नहीं थी। आवेदक का आगे कहना है कि स्वीकृति पत्र प्राप्त करने के तुरंत पश्चात् आवेदक ने RDSO द्वारा अनुमोदित विक्रेताओं में से एक देवास मेटल सेक्शंस लिमिटेड, मध्यप्रदेश से दिनांक–04.01.2022 को सीआरएफ सेक्शंस की खरीद के लिए संपर्क किया और यथाशीघ्र सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा। देवास मेटल सेक्शंस लिमिटेड ने दिनांक–07.01.2022 को सूचित किया कि बाजार की स्थिति और कच्चे माल की कीमत बहुत अस्थिर है और जैसे ही कीमत स्थिर होती है, उनके द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। कुछ सप्ताह पश्चात् दिनांक–02.02.2022 को आवेदक ने पुनः देवास मेटल सेक्शंस लिमिटेड से कच्चे माल की कीमत उपलब्ध कराने का अनुरोध किया तथा उनकी ओर से हो रहे विलंब को देखते हुए आवेदक ने तुरंत अन्य RDSO अनुमोदित विक्रेताओं से क्रमशः दिनांक–07.02.2022 एवं दिनांक–22.02.2022 को भेजे गए ई–मेल के माध्यम से संपर्क किया, जिसमें उन्हें संलग्न सामग्री सूची के अनुसार BOXNHL CRF Sections के लिए अपनी सर्वोतम दरें प्रदान करने के लिए कहा गया, लेकिन उक्त विक्रेताओं ने आवेदक द्वारा मांग की गयी सामग्रियों के लिए कोई दरें प्रदान नहीं की। पुनः दिनांक–17.03.2022, 01.04.2022, 08.04.2022, 03.05.2022, 05.05.2022 एवं 09.05.2022 को देवास मेटल सेक्शंस लिमिटेड से प्राथमिकता के आधार पर कच्चे माल की सर्वश्रेष्ठ कीमत का प्रस्ताव देने को कहा, ताकि वह तत्काल कार्य शुरू कर

(OSCORP INDUSTRIES PVT. LTD. V/S UNION OF INDIA AND OTHERS)

न्यायालय, प्रधान जिला न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

विविध वाद संख्या–35 / 2025

लगातार

21.03.2025

सके। दिनांक–10.05.2022 को देवास मेटल सेक्शंस लिमिटेड ने ई–मेल के माध्यम से अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कीमत अधिक होने के कारण आवेदक ने उसे पुनः सत्यापित कर शीघ्र उत्तर देने को कहा। दिनांक–18.05.2022 को देवास मेटल सेक्शंस लिमिटेड ने अपना संशोधित प्रस्ताव दिया, जिसे दिनांक–19.05.2022 के ई–मेल द्वारा आवेदक ने स्वीकार किया और दिनांक–20.05.2022 को देवास मेटल सेक्शंस लिमिटेड को दो माह में आपूर्ति की शर्त के साथ खरीद का प्रस्ताव भेजा। परंतु आश्चर्यजनक ढंग से दिनांक–26.05.2022 को देवास मेटल सेक्शंस लिमिटेड ने माल की आपूर्ति में असमर्थता व्यक्त की। इसी प्रकार आवेदक ने जिंदल स्टेनलेस स्टीलवे लिमिटेड से स्टेनलेस स्टील शीट्स / प्लेट्स खरीदने के लिए प्रयास किया। जिंदल स्टेनलेस स्टीलवे लिमिटेड ने दिनांक–17.03.2022 को प्रस्ताव प्रदान दिया। आवेदक ने जिंदल स्टेनलेस स्टीलवे लिमिटेड के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा उसे सामग्री की खरीद हेतु दिनांक–08.06.2022 को NEFT के द्वारा छः लाख रूपये का भुगतान किया और आपूर्ति के लिए अनुमानित समय बताने हेतु अनुरोध किया। आवेदन में यह भी कहा गया है कि आवेदक ने दिनांक–30.03.2022 को बैंक गारंटी के रूप में रू0 10,38,036 / – FA&CAO, East Central Railway, Hajipur, Bihar को जमा किया। आवेदक ने दिनांक–16.03.2022 के माध्यम से विपक्षी सं0–02 को सूचित किया कि मुगलसराय में लगभग सभी व्यवस्थाएं कर ली गई है, लेकिन उसने 90 दिनों के भीतर कार्य शुरू करने में असमर्थता व्यक्त की। आवेदक विपक्षी सं0–02 द्वारा निर्धारित विक्रेताओं से सामग्री की प्राप्ति में हो रहे विलंब की परिस्थितियों से विपक्षी सं0–02 को समय समय पर अवगत कराते रहा। आवेदन में यह भी कहा गया है कि विलंब का कारण उसके नियंत्रण के बाहर था। विपक्षी ने उन पर विचार किये बिना मनमाने ढंग से संविदा को निरस्त कर दिया, जिससे आवेदक को गंभीर नुकसान हुआ है। विपक्षी सं0–02 द्वारा संविदा का निरस्तीकरण एवं प्रतिभूत की जप्ती तथा बैंक गारंटी के नकदीकरण का आदेश मनमाना तथा एकपक्षीय है। आवेदक का यह भी कहना है कि उसने धारा–11 मध्यस्थता एवं सुलह

**न्यायालय, प्रधान जिला न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।**

**विविध वाद संख्या–35 / 2025**

लगातार

**21.03.2025** अधिनियम के अंतर्गत मध्यस्थता नियुक्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष आवेदन दिया है। आवेदक का यह भी कहना है कि उसने सिटी सिविल कोर्ट, कलकता में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा–9 के अंतर्गत आवेदन दाखिल किया था। तत्पश्चात् उनके आदेश के विरूद्व माननीय उच्च न्यायलय, कलकता में एफ0एम0ए0–187 / 2025 दायर किया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह कहते हुए कि मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार बिहार के न्यायालय को है, मामले का निस्तारण कर दिया गया, साथ ही आवेदक को अंतरिम राहत देते हुए चार सप्ताह के लिए विपक्षी सं0–02 को प्रतिभू के रूप में जमा राशि को जप्त करने तथा बैंक गारंटी के नकदीकरण से रोक दिया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि रेलवे का आचरण एवं आदेश बिल्कुल मनमाना है। रेलवे ने आवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ करने में हो रही बाधा पर यह जानते हुए कि उन बाधाओं पर आवेदक का नियंत्रण नहीं है और रेलवे द्वारा सूचीबद्व विक्रेताओं द्वारा माल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, विचार नहीं किया गया और मनमाने ढंग से संविदा का निरस्तीकरण करते हुए प्रतिभूति को जप्त किया गया तथा बैंक गारंटी के नगदीकरण की कार्यवाही का आदेश दिया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को अंतरिम राहत के बिन्दु पर सुना एवं अभिलेख का परिशीलन किया।

अभिलेख के परिशीलन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा संविदा के समय सामग्री की उपलब्धता के लिए रेलवे विभाग द्वारा सूचीबद्व विक्रेताओं से सामग्री प्राप्त करने हेतु भरपूर प्रयास किया। परंतु अधिसूचित विक्रेताओं द्वारा समय पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं करायी गयी। सामग्री की अनुपलब्धता जिन परिस्थितियों के कारण हुई उनका नियंत्रण आवेदक के हाथ में नहीं था। शर्त के अनुसार आवेदक सूचीबद्व

**न्यायालय, प्रधान जिला न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।**

**विविध वाद संख्या–35/2025**

लगातार

**21.03.2025** विक्रेताओं के अतिरिक्त अन्य किसी विक्रेता से सामग्री क्रय नहीं कर सकता था। इस प्रकार प्रथम दृष्टया संविदा के अनुपालन में विलंब का कारण आवेदक का आचरण नहीं है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक विलंब के कारणों से विपक्षी सं0–02 को समय समय पर अवगत कराता रहा। अभिलेख के परिशीलन से यह भी स्पष्ट है कि विवाद के निपटारे के लिए मध्यस्थता (Arbitration) का सहारा नहीं लिया गया, जब कि विवाद के निपटारे के लिए इस संविदा पर लागू GCC 2020 में विवादों के निपटारे के लिए सर्वप्रथम मध्यस्थता (Arbitration) का प्रावधान है। विचाराधीन मामले में विवाद की प्रकृति मध्यस्थता योग्य है। जैसा कि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष मध्यस्थ (Arbitrator) की नियुक्ति हेतु आवेदन दिया गया है, जिसके शीघ्र निपटारे की संभावना है। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पत्र सं0–49/ECR/Exp/SD/Forfeiture/2021 दिनांक–11.02.2025 के माध्यम से रेलवे द्वारा बैंक गारंटी के भुगतान हेतु संबंधित बैंक से अनुरोध किया गया है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह न्याय संगत होगा कि रेलवे प्राधिकार को आवेदक द्वारा जमा प्रतिभू को जप्त करने तथा बैंक गारंटी के नकदीकरण करने से अगली सुनवाई तक अवरोधित किया जाय।

तद्नुसार विपक्षी सं0–02 को आवेदक द्वारा जमा प्रतिभू को जप्त करने तथा बैंक गारंटी के नकदीकरण से अगली तिथि तक के लिए अवरोधित किया जाता है।

कार्यालय दो दिनों के अंदर विपक्षीयों को नोटिस निर्गत करें।

वाद दिनांक–19.04.2025 को विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु।

21.3.25

प्रधान जिला न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।